उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी

(जिला योजना)

अति अल्पकालीन निविदा

विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में खूँटी जिला के सदर अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में विभिन्न मशीन/उपकरणों यथा– Digital Trolley Based Ultrasound Machine, 3D Digital Trolley Based Ultrasound Machine, Electrocardiogram Twelve Channel, Multipara Patient Monitor, Biphasic Difibrillator monitor, CR system for X-Ray Machine, Fetal Doppler, Infrared Vein Viewer, Anaesthesia station semi automatic (Certified Company-Silverline Meditech., Hitachi Aloka, KPI, Semens, Korrida, Fujifilm, RMS, BPL, GE, Samsung, Technocare Medisystems, Necter etc.) & Over Bed Table, 3 Fold With Curtains, Dressing Trolley, Instrument Trolley, ICU Bed Motorised 7 Function (Certified Company- Godrej, Narang, Carvel etc.) के आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन हेतु मानक स्तर के कम्पनियों/प्रमाणित बिक्रेताओं/उनके अधिकृत बिक्रेताओं से विभिन्न शर्त्तों के साथ मुहरबंद निविदा दिनांक 27-08-2019 के अपराह्न 01:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, खूँटी में आमंत्रित की जाती है। निविदा स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक अथवा स्वयं निविदादाता या अन्य प्रतिनिधि जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 27-08-2019 के अपराह्न 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति, खूँटी के समक्ष निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जायेगा। निविदा की अन्य शर्त्तें, मशीन/उपकरणों के Specification इत्यादि समाहरणालय, खूँटी के वेबसाईट www.khunti.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है अथवा जिला योजना कार्यालय, खूँटी से प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा की अन्य शर्त्तें :–

1. इच्छुक निविदादाता का निविदा सीलबन्द एवं मोहरबंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्वयं निविदादाता या प्रतिनिधि के हाथों–हाथ में दिनांक 27-08-2019 के अपराह्न 01:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, खूँटी में प्राप्त किया जायेगा।
2. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. निविदादाता निविदा की शर्त्तें कार्यालय अवधि में जिला योजना कार्यालय, खूँटी से प्राप्त कर सकते हैं।
4. प्राप्त निविदा दिनांक 27-08-2019 के अपराह्न 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोला जायेगा।
5. सभी दर प्रस्तावक द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelope System) के अनुसार डाली जायेगी।
6. निविदादाता एक लिफाफे में साफ–साफ शब्दों में "Technical Bid" लिखकर उसमें निविदा के साथ मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र डालेंगे एवं उसे सीलबंद तथा मोहरबंद किया जायेगा। साथ ही उस पर अपना नाम, पत्ता, मोबाईल नं0, ई–मेल साफ–साफ लिखेंगे।

7. निविदादाता दूसरे लिफाफा में साफ–साफ शब्दों में "Financial Bid" अंकित करेंगे। उक्त लिफाफे में मशीन/उपकरणों का दर, अधिष्ठापन एवं कर इत्यादि अलग–अलग क्रमांक के अनुसार अंकित करेंगे और उस लिफाफे को सीलबंद एवं मोहरबंद करेंगे। उस लिफाफे में दर के अलावा कोई अन्य कागजात नहीं डाला जायेगा। उक्त लिफाफे में निविदादाता अपना नाम, पत्ता, मोबाईल नं0, ई–मेल साफ–साफ लिखेंगे। तत्पश्चात् दोनों लिफाफे को एक तीसरे लिफाफा में डालकर सीलबंद, मोहरबंद करेंगे तथा उस पर भी अपना नाम, पत्ता, मोबाईल नं0, ई–मेल साफ–साफ लिखेंगे।
8. पहले तकनीकि बीड खोली जायेगी एवं निविदादाताओं की उपस्थिति में उनका मूल्यांकन किया जायेगा और योग्य निविदादाताओं का ही "Financial Bid" खोला जायेगा। झारखण्ड राज्य के किसी जिला में इस प्रकार के उपस्करों के अनुभवी आपूर्त्तिकर्त्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. निविदादाता को मशीन/उपकरणों की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन स्वयं करना होगा, जिसके लिए उन्हें अलग से मार्ग व्यय/परिवहन व्यय मान्य नहीं होगा।
10. निविदादाता को मशीन/उपकरणों की आपूर्त्ति हेतु कोई अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी, किंतु आपूर्त्ति के पश्चात् और गुणवत्तायुक्त मानक स्तर का कार्य पाये जाने पर निविदादाता को राशि का भुगतान किया जायेगा। मशीन/उपकरणों के आपूर्त्ति समय पर नहीं करने अथवा निम्न स्तर का मशीन/उपकरणों की आपूर्त्ति करने पर संपूर्ण राशि का भुगतान रोकने या समानुपातिक कटौती करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

तकनीकि लिफाफे के अन्दर :–

1. आयकर एवं आधार कार्ड, निबंधन प्रमाण–पत्र, GST निबंधन प्रमाण–पत्र, अद्यतन GST Return की प्रति।
2. निविदादाता को 100/– रूपये का e-Stamp Paper पर शपथ पत्र देना होगा कि :–
   क) उनके द्वारा दी गई कम्पनी एवं निविदादाता स्वयं राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।
   ख) उनके द्वारा दी गई कम्पनी एवं निविदादाता स्वयं रूग्नावस्था में नहीं हैं।
   ग) उनके द्वारा दी गई कम्पनी एवं निविदादाता स्वयं का न्यायालय में कोई मामला या मुकदमा दर्ज नहीं है तथा उनके विरूद्ध कोई आरोप या जाँच लंबित नहीं है का शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   घ) निविदादाता द्वारा दी गई कम्पनी का झारखण्ड राज्य में अधिकृत प्रतिष्ठान, बिक्रेता एवं स्वयं निर्माता कम्पनी का कार्यालय होने का शपथ–पत्र देना होगा। कम्पनियों/प्रमाणित बिक्रेताओं/उनके अधिकृत बिक्रेताओं को Valid Registration of Shop & Establishment प्रमाण–पत्र देना होगा।
3. आपूर्त्ति किये जाने वाली मशीनों/उपकरणों का कम्पनी नाम/वारंटी/गारंटी प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को विगत्त तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष का सालाना न्यूनतम टर्नओवर एक करोड़ रूपये से ज्यादा होना चाहिए। एक करोड़ रूपये से कम टर्नओवर वाली निर्माता कम्पनी/प्राधिकृत स्टॉकिस्ट/हॉल सेलर इस निविदा को भरने के लिए सक्षम नहीं होंगे।
5. तीन वर्ष का आयकर प्रमाण–पत्र (Assesment Year 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) को संलग्न करना होगा।

6. झारखण्ड राज्य के बाहर के निविदादाता निविदा में भाग लेते हैं तो उन्हें झारखण्ड राज्य का GST प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदा के साथ 50,000 (पचास हजार) रूपये का अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त, खूँटी के नाम से भुगतेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा :–

1. मशीनों/उपकरणों का दर सभी कर एवं अधिष्ठापन सहित देना होगा, जिसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
2. मशीनों/उपकरणों का अधिष्ठापन खूँटी जिला के सदर अस्पताल एवं प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में करना होगा। इसके लिए अलग से कोई अधिभार देय नहीं होगा।
3. भुगतान हेतु 03 प्रतियों में विपत्र देना होगा।
4. तकनीकि निविदा में संलग्न प्रपत्र की सूची (Index) पेज नं0 के साथ देना अनिवार्य होगा एवं सभी प्रपत्र स्व0 अभिप्रमाणित होना चाहिए।
5. किसी भी वैधानिक मामले के निष्पादन हेतु खूँटी न्यायालय होगा।
6. बिना कारण बताये निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा तथा इसके लिए कोई सूचना अलग से प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

ह0/–
उपायुक्त,
खूँटी।

ज्ञापांक 477/जि0यो0 दिनांक 14/08/19

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न निविदा को खूँटी जिला के वेबसाईट www.khunti.nic.in पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्रों में अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित कराने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, खूँटी/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ प्रेषित।

13/08

उपायुक्त,
खूँटी।